

लाखयूजीछात्रोंकेलिएकर्नाटकमुफ्तलैपटॉप सरकारयोजना2019-20

कर्नाटक सरकार। 1.1 लाख स्नातक छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना 2019-20 शुरू करने जा रहा है। कैबिनेट समिति ने फैसला किया है कि 2019 में, कॉलेज में यूजी पाठ्यक्रमों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा 2020 शैक्षणिक वर्ष में, केवल 1 वर्ष के छात्र कर्नाटक मुफ्त लैपटॉप सरकार योजना के लिए पात्र होंगे। मुफ्त लैपटॉप योजना पहले केवल कर्नाटक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए थी लेकिन बाद में इसका दायरा सभी छात्रों के लिए बढ़ा दिया गया था।

पात्रतामापदंड

निम्नलिखित स्थितियों से मेल खाने वाले छात्र कर्नाटक मुफ्त लैपटॉप योजना 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- कर्नाटक का निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- कर्नाटक के एससी / एसटी छात्र।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले छात्र।
- 2.50 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय।

आवश्यकदस्तावेज़

जो छात्र कर्नाटक नि: शुल्क लैपटॉप योजना 2019 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

- कर्नाटक अधिवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक A / c आधार कार्ड से लिंक है।
- एससी / एसटी जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।

योग्य पाठ्यक्रम

निम्नलिखित पाठ्यक्रम मुफ्त लैपटॉप योजना के लिए पात्र हैं:

- चिकित्सा अध्ययन।
- अभियांत्रिकी।
- पॉलिटेक्निक कॉलेज।
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों।
- प्रथम श्रेणी के कॉलेजों में अध्ययन।

आवेदन कैसे करें

कर्नाटक मुफ्त लैपटॉप योजना 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. सबसे पहले, कॉलेज ऑफ एजुकेशन कर्नाटक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: dce.kar.nic.in।
2. वहां आपको Free Laptop Scheme Form दिखाई देगा।
3. उस फॉर्म को डाउनलोड करें।

4. इस फॉर्म को अपने विवरण के साथ भरें।
 5. सभी आवश्यक दस्तावेज फोटोस्टेट और छात्र फोटो संलग्न करें।
 6. इसे कर्नाटक के शिक्षा विभाग को भेजें।
- अधिक प्रश्न के लिए

वेबसाइट: "<https://pmjandhanyojana.co.in/dce-kar-nic-in-apply-laptop-bhagya-scheme-karnataka/>"